कार्यालय जिला पंचायत,सम्भल।

पत्रांक 44 /जि0पं0/ला0अनु0/2020–21 दिनांक 29 /05/2020

संशोधित ठेकेदारी नवीनीकरण/नवीन पंजीकरण वर्ष 2020–21

जिला पंचायत, सम्भल के समस्त ठेकेदारों एवं अन्य इच्छुक फर्मों को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत,सम्भल मे विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कराये जाने वाले निर्माण कार्यो हेतु उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एंव जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 में दिये गए प्राविधानों एंव जिला पंचायत,सम्भल में प्रचलित ठेकेदारी उपविधि के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ठेकेदारों के संशोधित नवीनीकरण/नवीन पंजीकरण हेतु दिनांक 08.06.2020 तक प्रार्थना पत्र कार्यालय/पंजीकृत डाक से आमंत्रित किए जाते है। ठेकेदारों के नवीनीकरण/नवीन पंजीकरण हेतु निम्न विवरण के अनुसार राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

1–आर्थिक क्षमता (हैसियत प्रमाण पत्र) एंव पूर्व में प्रचलित संतोषजनक गतिविधियों सम्बन्धी प्रमाण पत्र एंव चरित्र प्रमाण पत्र जनपद के जिला मजिस्ट्रेट से शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त कर प्रार्थना पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी, जो निर्धारित अवधि के अन्दर का हो।

2–पात्रता/माफिया गतिविधियों के सम्बन्ध में जारी किए गए शासनादेश के कम में नवीनीकरण हेतु अंकन–100/ के स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र एंव अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। नवीनीकरण हेतु यदि यह प्रकाश में आता है कि ठेकेदार अपात्र है तो उसका नवीनीकरण जिला पंचायत में स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

3–आयकर एंव जी0एस0टी0 में पंजीकरण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ठेकेदारी करने नवीनीकरण हेतु वर्ष 2019–20 का जिला पंचायत, सम्भल द्वारा जारी लाईसेंस की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4–किसी भी प्रार्थना पत्र का यदि सक्षम स्तर सें अनुमोदन प्राप्त नही होगा तो प्राप्त आवेदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

5–जिला पंचायत,सम्भल के किसी अधिकारी/कर्मचारी एंव मा0 अध्यक्ष/सदस्य से किसी प्रकार की रिश्तेदारी न होने का शपथ पत्र (100रू के स्टाम्प पेपर पर) संलग्न करना होगा।

6–नवीनीकरण/नवीन पंजीकरण की अवधि चरित्र प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र में जो पहले समाप्त हो रही हो उस तिथि तक वैध होगी।

7–नवीनीकरण/नवीन पंजीकरण हेतु श्रम विभाग द्वारा फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र तथा पार्टनरशिप वाले आवेदनो मे फर्म की हैसियत होना अनिवार्य होगा प्राप्त न होने पर आवेदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

8–नवीन पंजीकरण हेतु आवेदनकर्ता को कम से कम तीन वर्ष का विभागीय निर्माण कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

श्रेणी	न्यूनतम हैसियत धनराशि	जमानत राशि	निर्माण कार्यो की सीमा
ए	रू0–40,00,000.00	रू0–50,000.00	30,00,000.00 से ऊपर तथा 30,00,000.00 तक
बी	रू0–30,00,000.00	रू0–40,000.00	25,00,000.00 तक
सी	रू0–25,00,000.00	रू0–30,000.00	20,00,000.00 तक
डी	रू0–10,00,000.00	रू0–25,000.00	15,00,000.00 तक

नवीनीकरण/नवीन पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदनकर्ताओं के उपरोक्त के आधार पर जमानत धनराशि जिला पंचायत हित में प्रपत्र–5/आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. द्वारा जमा करनी होगी। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। नवीनीकरण/पंजीकरण स्वीकृति प्राप्त होने पर ही किया जायेगा। उक्त सूचना कार्यालय एवं पोर्टल https://sambhal.nic.in पर देखी जा सकती है।

अपर मुख्य अधिकारी/
लाईसेन्स अधिकारी
जिला पंचायत, सम्भल।

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– विज्ञापन व्यस्थापक दैनिक समाचार पत्र ....बहजोई को इस आशय से कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन अपने समाचार पत्र में एक बार न्यूनतम स्थान एवं बारीक से बारीक (06 फान्ट में) अक्षरों में प्रकाशित कराकर जिला सूचना अधिकारी से दरें सत्यापित करने के उपरान्त बिल दो प्रतियों में इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सम्भल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त विज्ञप्ति को जनपद के पोर्टल पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

3– नाजिर, जिला पंचायत, सम्भल को इस निर्देश के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को कार्यालय सूचना पट चस्पा कराना सुनिश्चत करें।

4– मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, सम्भल की सेवा में सादर आवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य अधिकारी/
लाईसेन्स अधिकारी
जिला पंचायत, सम्भल।